न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 46 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2054 / 66

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1.अर्जुन पुत्र हड़मानराम
2.कमलादेवी पत्नि रावताराम
3.गीगी पत्नि बुधाराम
4.गोबरराम पुत्र मालाराम
5.घेवरराम पुत्र पुनमाराम
6.चतराराम पुत्र पुनमाराम
7.चुनीलाल पुत्र खंगाराराम
8.देवाराम पुत्र उकाराम
9.पदमाराम पुत्र खंगाराराम
10.प्रहलादराम पुत्र आदूराम
11.पवनी पुत्री हड़मानराम
12.बालकराम पुत्र बुधाराम
13.भगवती पुत्री हड़मानराम
14.भूदराराम पुत्र पुनमाराम
15.माणकाराम पुत्र हड़मानराम
16.मोहनलाल पुत्र खंगाराराम
17.लेखाराम पुत्र नरसिंगा
18.शांतिलाल पुत्र बुधाराम
19.संजीव पुत्र बुधाराम नाबालिग जरिए कुदरती वली माता गीगीदेवी
20.सुन्दरदेवी पत्नि हड़मानराम
21.सांवलाराम पुत्र भीखाराम
जाति मेघवाल निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1.गणेशाराम पुत्र खंगाराराम जाति कलबी
2.सुराराम चौधरी पुत्र खंगाराराम
जाति कलबी निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
3.सांवलाराम चौधरी पुत्र खंगाराराम चौधरी
निवासी–61 राजेश्वर नगर मुख्य सालावास
मार्ग सांगरिया बाईपास जोधपुर
4.रमादेवी पत्नि सांवलाराम चौधरी
निवासी–61 राजेश्वर नगर मुख्य सालावास
मार्ग सांगरिया बाईपास जोधपुर
5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
~~कल्याणपुर~~ पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

0उपस्थिति–

1. श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 25/07/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 341 व 342 भूमि अवस्थित थी। विवादित आराजी के सहखातेदारान द्वारा सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाए जाने नये खसरा संख्या 1647/341,1650/342,1648/341,1649/341,1651/342,1652/342 कायम हुए। जिसमें खसरा संख्या 1647/341 व 1650/342 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि की माफिक बंटवाड़ा अनुसार लटढा नक्शा मे तरमीम कर दी गई थी तथा पक्षकारान का माफिक बंटवाड़ा मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन सेगीग्रेशन आन–लाईन कार्य के दौराने बिना न्यायालय आदेश के विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर दी गई। जिसके कारण पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद बना रहता है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 341 व 342 से नए बने खसरा संख्या 1647/341,1650/342,1648/341,1649/341,1651/342,1652/342 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर मौका कब्जा काश्त स्थिति एवं पूर्व बंटवाड़ा के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई,जो शामिल मिसल है। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 05 उपस्थित नही रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 341 व 342 भूमि अवस्थित थी। विवादित आराजी के सहखातेदारान द्वारा सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाए जाने नये खसरा संख्या 1647/341, 1650/342, 1648/341,1649/341,1651/342,1652/342 कायम हुए। जिसमें खसरा संख्या 1647/341 व 1650/342 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विवादित आराजी की माफिक बंटवाड़ा अनुसार लटढा नक्शा मे तरमीम कर दी गई थी। पक्षकारान का माफिक बंटवाड़ा मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन सेगीग्रेशन आन–लाईन कार्य के दौराने बिना न्यायालय आदेश के विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर दी गई। इसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्षति हो रही है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित आराजी के खसरा संख्या 341 व 342 से नए बने खसरा नम्बर की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि न्यायालय हाजा के मुकदमा संख्या 166/1983 अनवान अचला बनाम पुनमा वगैरा निर्णय दिनांक 13.10.1987 के द्वारा विवादित आराजी का बंटवाड़ा हुआ था,बंटवाड़ा के संलग्न नक्शा छायाप्रति एवं विदयमान तरमीम नक्शा अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित आराजी की विदयमान तरमीम बंटवाड़ा नक्शा के विपरीत हो रखी है। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जो दुरूस्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद तामीली होने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है,इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थी को विवादित आराजी की तरमीम दुरूस्ती किए जाने मे आपति नही है,क्योकि यदि उजर–एतराज होता तो आपति पेश करते,लेकिन ऐसा नही किया गया। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–असाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1647/341 , 1650/342,1648/341,1649/341,1651/342,1652/342 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा की ओर से पत्रांक 1582/17.7.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा अ मुताबिक तरमीम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड में तदनुसार नियमानुसार तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

25/7/25

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/07/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

25/7/25

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा